न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :66/2022

प्रार्थी:–

गोतम कुमार पुत्र मेहराराम जाति पुरोहित निवासी गुडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.09.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 198 व 208 रकबा 4.6539,1.2207 ग्राम गुडा व खसरा संख्या 407 रकबा 11.1794 हैक्टेयर भूमि ग्राम नाल तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, पेनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अंकतालिका आदि में उसका वास्तविक नाम "गोतम कुमार पुत्र मेहराराम" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "गोतमसिंह पुत्र मेहरा" व "गोतमसिंह पुत्र मेहराराम" लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1059 दिनांक 23.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड,पेनकार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी अंक तालिका आदि प्रस्तुत किये है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,अजमेर द्वारा जारी अंकतालिका में प्रार्थी का वास्तविक नाम "गोतम कुमार पुत्र मेहराराम" किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 198 व 208 रकबा 4.6539 व 1.2207 ग्राम गुडा व खसरा संख्या 407 रकबा 11.1794 हैक्टेयर भूमि ग्राम नाल तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम "गोतमसिंह पुत्र मेहरा" व "गोतमसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मेहराराम'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड,पेनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,अजमेर द्वारा जारी अंकतालिका आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''गोतम कुमार पुत्र मेहराराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''गोतमसिंह पुत्र मेहरा'' व ''गोतमसिंह पुत्र मेहराराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गोतम कुमार पुत्र मेहराराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुडा के खसरा संख्या 208,198, रकबा क्रमशः 1.2267 व 4.6539 व ग्राम नाल के खसरा संख्या 407 रकबा 11.1794 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''गोतमसिंह पुत्र मेहरा'' व ''गोतमसिंह पुत्र मेहराराम'' के स्थान पर ''गोतम कुमार पुत्र मेहराराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:21 IST
Reason: SelfAttested